न्यायालय–समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

आपूर्ति अपील वाद सं0– 02/2014

सत्य नारायण सिंह बनाम बिहार सरकार

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक आ0 .....से .....

जिला – रोहतास .....नं0– 02 सन् 2014

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील अपील वाद

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9-2-18	यह अपील काराकाट प्रखण्ड अन्तर्गत बेनसागर ग्राम पंचायत के जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति सं0– 08/2007 के रद्दीकरण का आदेश ज्ञापांक 147/आ0, दिनांक 21.05.2014 जो अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा पारित है, के विरूद्ध प्रेषित किया गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ने निम्न न्यायालय को प्रतिवेदित किया था कि दिनांक 18.09.13 को अपीलार्थी के व्यवसायिक परिसर का निरीक्षण किया गया तो सूचना पट निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं पाया गया। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाता है। सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मात्रा से कम किया जाता है। उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इन आरोपों के संबंध में पत्रांक 217/आ0, दिनांक 10.10.13 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किया गया। अपीलार्थी ने अपने कारण–पृच्छा में दिनांक 31.10.13 में कहा है कि सूचना पट्ट रोज संधारित करता है। निर्धारित मात्रा एवं मूल्य के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति की जाती है। किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करता हूँ। इन्हीं कथनों के साथ स्पष्टीकरण स्वीकार करने का अनुरोध किय गया है। पार्वती कुँवर एवं अन्यान्य ने ग्राम पंचायत बेनसागर के मुखिया द्वारा अनुशंसित आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को दिया जिसमें कहा गया है कि दुकानदार दिसंबर, 2013 एवं जनवरी 14 का कुपन एक साथ लेकर दिसम्बर 2013 का ही राशन दिए हैं। पूछने पर कहते हैं कि हम दो माह का कूपन लेकर एक माह का ही देंगे जिसको जहाँ जाना है जाए। राशन प्रति कूपन 170 रू0 में तथा वजन में भी कम देते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं वरीय उप समाहर्त्ता को जाँच कर प्रतिवेदन हेतु निदेश दिया, जिसके आलोक में वरीय उप समाहर्त्ता ने दिनांक	

09.02.14 को प्रतवेदित किया कि 19 लाभार्थियों ने विक्रेता के विरूद्ध कहा कि माह दिसम्बर, 2013 एवं जनवरी 2014 का जबरन कूपन फाड़कर 01 माह का ही अनाज दिया गया। क्रमांक 10 पर अंकित हरिचरण ने कहा कि उसे मात्र 25Kg ही अनाज दिया जाता है। मई 2013 से नवंबर 2013 तक कुल 09 कूपन मूल में उपभोक्ता के पास पाए गए। लाभुकों के साथ अशोभनीय व्यवहार की शिकायत भी सही पाई गई। PDS Control Act की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। प्रतिवेदन के साथ 32 लाभाथियों का बयान एवं 11 कूपन संलग्न है।

ज्ञापांक 98, दिनांक 07.03.2014 द्वारा अपीलार्थी के कारण–पृच्छा की मॉग की जिसके संदर्भ में दिनांक 10.03.14 को अपीलार्थी ने अपना कारण–पृच्छा दिया कि माह दिसंबर 2013 के खाद्यान्न वितरण के साथ कूपन प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा है। माह जनवरी 2014 का वितरण कर रहा हूँ। कुछ उपभोक्तओं ने जानबुझकर दिसंबर 13 के बदले जनवरी, 2014 का कूपन दे दिया। उपभोक्ता हरिचरण का नाम अंत्योदय सूची में नही है और इन्हें गलती से पीला कूपन प्राप्त है। उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, काराकाट ने दिनांक 05.02.2014 को अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदित किया था कि उपभोक्ताअें को कैशमेमो नहीं दिया जाना। सूचना पट माप दंड के अनुसार नहीं है। अंत्योदय का 55 जमा कूपन के विरूद्ध पंजी में 59 उपभोक्ताओं का नाम दर्ज है। माह दिसंबर 2013 का बी0पी0एल0 का 260 जमा कूपन के विरूद्ध वितरण पंजी में 305 उपभोक्ताओं का नाम दर्ज है। पंजी पर उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर/निशान नहीं लिया गया। माह जनवरी, 2014 का किरासन तेल का 562 कूपन के विरूद्ध पंजीमें 759 उपभोक्ताओं का नाम दर्ज है। गेहू, चावल, किरासन तेल कालाबाजारी किया गया। जनवरी, 2014 का कूपन जर्बदस्ती फाड़ लिया गया। निर्धारित मूल्य से आधिक मूल्य लिया जाना।

इस प्रतिवेदन के संदर्भ में कारण–पृच्छा की मॉग नहीं किया गया है और न ही कारण–पच्छा दिया गया है।

अपील आधार पत्र में कहा गया है कि आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्य दोनों से त्रुटिरहित है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। निम्न न्यायालय ने संतुष्टि का आधार वर्णित नहीं किया है मंतव्य पूर्णतः प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 03.02.2014 पर आधारित है। निम्न न्यायालय ने कैश मेमो, वितरण पंजी, बी0पी0एल0 सूची, हरिचरण चौधरी का अंत्योदय सूची में नहीं है बी0पी0एल0 सूची में है

इसलिए वह 25Kg खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है और उसी अनुसार 7 माह मई 13 से नवंबर 13 तक खाद्यान्न प्राप्त किया है। किस प्रावधान का उल्लंघन हुआ आक्षेपित आदेश में वर्णित नहीं है। इन्हीं कथनों के साथ अपील स्वीकृत कर अनुज्ञप्ति पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि सुनवाई का अवसर दिए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुरूप है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि आरोप गंभिर है इसलिए अपील खारिज करने योग्य है।

मैंने तर्क की विवेचना किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि आक्षेपित आदेश पारित करने के पूर्व निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी को अपने बचाव में पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2014 पर बिना कारण–पृच्छा मॉगे उसके आधार पर भी आक्षेपित आदेश पारित किया। ऐसी स्थिति में अपील के गुण दोष पर बिना विचार किए वाद को निम्न न्यायालय को वापस किया जाता है कि अपीलार्थी को कारण–पृच्छा देने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद पूर्व में आदेश से बिना प्रभावित हुए, विधिक प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए युक्तियुक्त एवं मुखरित आदेश पारित करें।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ अपील निस्तारित किया जाता है।

आदेश की एक प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।

समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।

ज्ञापांक 1652 / विधि, दिनांक 19.05.18

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को उनके पत्रांक-391 दि०-2/3/14 से प्राप्त निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सूचना एवं [illegible] पदाधिकारी, रोहतास को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।